(138)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–अशोकनगर

निगरानी 1541-II-15

सईद खॉं पुत्र श्री सिकन्दर खॉं
निवासी – बहादुरपुर कृषक खिरिया खुर्द तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. संजीव कुमार जैन पुत्र श्री शीलचन्द जैन निवासी बहादुरपुर कृषक खिरिया खुर्द तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. आर.आई. बहादुरपुर ....अनावेदक

न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत 4 बहादुरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 26/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 मुंगावली के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 7ए/2010 ई.दी. इस आशय से प्रस्तुत किया था। कि वर्तमान प्रकरण में गलत नक्शा बनाया गया है, जबकि स्थल एवं कब्जे के अनुसार मौके की स्थिति विपरीत है। इस पर से व्यवहार न्यायधीश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली को कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया था। जिसपर से कमिश्नर द्वारा दिनांक 11.01.2013 को अपनी विधिवत् रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं।
2. यहकि, व्यवहार न्यायालय से नियुक्त कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर व्यवहार न्यायधीश वर्ग–2 मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2014 से नक्शे के संबंध में आदेश पारित किया था। इसके पश्चात

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1541–दो / 15 जिला – अशोकनगर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक के हस्ता
18.2.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वह प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः उनका निवेदन स्वीकार किया जाता है। तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	